राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7 (47)(79) परि/नियम/मु./94/24833 जयपुर,दिनांकः– 01/12/16

कार्यालय आदेश.....42.../2016

विगत् समय में यह संज्ञान में लाया गया है कि महालेखाकार के लेखा परीक्षा दल द्वारा राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पर संचालित भार वाहनों के अनुज्ञापत्र समर्पित करने के संबंध में ऑडिट आक्षेप बनाये गये है। इस संबंध में पूर्व में विभाग द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 60/2001 दिनांक 15.10.2001 एवं पत्र दिनांक 25.09.2003 द्वारा दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे। महालेखाकार द्वारा बनाये गये ऑडिट आक्षेपों का मुख्यालय स्तर पर परीक्षण किया गया एवं पाया गया कि महालेखाकार के लेखा परीक्षा दल द्वारा बनाये गये ऑडिट आक्षेप नियमसंगत नहीं है।

अतः राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पर संचालित भार वाहनों के अनुज्ञापत्र समर्पित करने के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुये निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:–

1. ऐसे प्रकरण जहां अनुज्ञापत्र वैध है परन्तु ऑथोराइजेशन अनुज्ञापत्र समर्पण करने की दिनांक को समाप्त हो चुका हो, में जितने वर्ष ऑथोराइजेशन विधिमान्य न रहा हो, उतने वर्ष के लिये प्रतिवर्ष 1000 रूपये की दर से फीस प्राप्त कर तथा ऑथोराइजेशन नवीनीकरण नहीं कराने की अनियमितता को परमिट शर्तो का उल्लघंन मानते हुये निर्धारित प्रशमन राशि 1500 रूपये वसूल की जावे।
2. ऐसे प्रकरण जहां वाहन का अनुज्ञापत्र केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 88(3) के तहत् मॉडल कंडीशन में आ जाने से अनुज्ञापत्र स्वतः समाप्त हो चुका हो, में अनुज्ञापत्र समर्पण के समय किसी भी प्रकार की ऑथोराईजेशन फीस अथवा अन्य कोई प्रशमन राशि नहीं ली जानी है, क्योंकि ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार वाहन के ऑथोराइजेशन का नवीनीकरण संभव नहीं है। ऐसे प्रकरण में निम्न संभावित परिस्थितियां आ सकती है:–

(1) वाहन का अनुज्ञापत्र 29.08.2016 तक वैध था एवं ऑथोराइजेशन भी 29.08.2016 तक वैध था तथा वाहन दिनांक 30.06.2016 को निर्धारित आयु पूर्ण कर चुका है। इस प्रकरण में चूंकि नियमानुसार ऑथोराईजेशन का नवीनीकरण किया जाना संभव नहीं है अतः ऐसे वाहन के वाहन स्वामी से अनुज्ञापत्र समर्पित करते समय किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना है।

(2) वाहन का अनुज्ञापत्र 29.10.2018 तक वैध है तथा वाहन का ऑथोराईजेशन 29.10.2016 तक वैध था तथा वाहन निर्धारित आयु दिनांक 30.08.2016 को पूर्ण कर चुका है। इस प्रकरण में भी नियमानुसार ऑथोराईजेशन का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, अतः ऐसे प्रकरण में भी वाहन स्वामी से अनुज्ञापत्र समर्पित करते समय किसी भी प्रकार की ऑथोराईजेशन फीस अथवा प्रशमन राशि नहीं ली जानी है।

(3) वाहन का अनुज्ञापत्र 29.08.2017 तक वैध है तथा वाहन का ऑथोराईजेशन 29.08.2016 तक वैध है तथा वाहन निर्धारित आयु दिनांक 30.12.2016 को पूर्ण करेगा। ऐसे प्रकरण में वाहन स्वामी द्वारा अनुज्ञापत्र समर्पित करने का आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2016 के पश्चात् राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.35 में उल्लेखित 14 दिवस की समयावधि समाप्त होने पर अर्थात् दिनांक 12.09.2016 के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वाहन स्वामी से 30.08.2016 से 29.08.2017 की एक वर्ष की अवधि के लिये 1000 रूपये ऑथोराईजेशन फीस एवं नवीनीकरण नहीं कराने की अनियमितता की परमिट शर्तो का उल्लघंन मानते हुये निर्धारित प्रशमन राशि 1500 रूपये वसूल की जावे।

यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त प्रशमन राशि प्रत्येक ऑथोराईजेशन वर्ष के लिये अलग–अलग नहीं है। यह राशि नवीनीकरण नहीं करवाने की सम्पूर्ण अवधि के लिये है। उदाहरण के लिये किसी वाहन का राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र 29.09.2017 तक वैध है एवं ऑथोराईजेशन 29.09.2014 को समाप्त हो चुका है तथा वाहन स्वामी द्वारा उक्त ऑथोराईजेशन का नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 24.09.2016

को अनुज्ञापत्र समर्पित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकरण में वाहन स्वामी से 30.09.2014 से 29.09.2015, 30.09.2015 से 29.09.2016 तक के दो वर्षो के लिये प्रतिवर्ष 1000 रूपये की दर से ऑथोराईजेशन फीस वसूल की जानी है परन्तु ऑथोराईजेशन नवीनीकरण नहीं करवाने के दो वर्षो के लिये एकमुश्त 1500 रूपये प्रशमन राशि के रूप में वसूल की जानी है।

उक्त निर्देशों की पालना की जाकर राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पर संचालित भार वाहनों के अनुज्ञापत्र समर्पित करने के प्रकरणों का निस्तारण अविलंब किया जावे।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः प.7 (47)(79) परि/नियम/मु./94/24834-24840 जयपुर,दिनांकः-01/12/16

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
4. मुख्यालय अधिकारीगण (समस्त)।
5. प्रादेशिक/ अति. प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

30/11

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)